प्रेस नोट
दिनांक 07.06.2024, थाना वजीरगंज
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 233/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त 01. पुजारी यादव, 02. रामदीन यादव को प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक टिकरी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2024 को वादी द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी लड़की को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 233/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम रामदीन यादव आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. पुजारी यादव व 02. रामदीन यादव को आज दिनांक 07.06.2024 को प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक टिकरी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरंगज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारगण अभियुक्त-

01. पुजारी यादव पुत्र श्री राम पदारथ यादव निवासी ग्राम गणेशपुर ग्रांट कुडनिया थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।
02. रामदीन यादव पुत्र श्री पुजारी यादव निवासी ग्राम गणेशपुर ग्रांट कुडनिया थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 233/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०रामधारी दिनकर,
02. हे0का0 सुरेश यादव
03. का0 मोहनलाल
04. का0 रुपेश पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।
प्रेस नोट

दिनांक 07.06.2024, थाना उमरीबेगमगंज

जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 156/2024 धारा 498A, 304B भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. सुनील कुमार जायसवाल को पूरे अहलादपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.05.2024 को वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी चचेरी बहन को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 156/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम सुनील कुमार चौरसिया आदि 02 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. सुनील कुमार जायसवाल को आज दिनांक 07.06.2024 को पूरे अहलादपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुनील कुमार जायसवाल (चौरसिया) पुत्र स्व0 राजू जयसवाल निवासी पूरे अहलादपुरवा मौजा अमदही थाना उमरीबेगमंगज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 156/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०उमेश सिंह
02. का0 हिमान्शु शुक्ला
03. का0 राहुल कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.06.2024, थाना को0देहात,
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा आगजनी की घटना कारित करने के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 207/24 धारा 436 भादवि से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त अशोक पुत्र हीरा कोरी निवासी नइके पुरवा सरैया चौबे थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत आगजनी की घटना कारित करके घर व घर के अन्दर रखे कीमती समान आदि जलाकर राख कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में वादिनी की तहरीर पर थाना को0देहात में मु0अ0स0 207/2024 धारा 436 भादवि बनाम अशोक आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त अशोक पुत्र हीरा कोरी निवासी नइके पुरवा सरैया चौबे थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. अशोक पुत्र हीरा कोरी निवासी नइके पुरवा सरैया चौबे थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 207/24 धारा 436 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 विजय बहादुर यादव
02. हे0का0 चन्द्रकेश भाष्कर
03. हे0का0 करन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।